"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2015 — कार्तिक 7, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-2/2015/1/3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 6 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6-क) प्रशासकीय विभाग, विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष पदोन्नति के लिए विचाराधीन शासकीय सेवकों के विगत 5 वर्षों के अचल सम्पत्ति के वार्षिक विवरण प्राप्त/अप्राप्त होने की जानकारी प्रस्तुत करेगा. ऐसे शासकीय सेवक, जिनसे 5 वर्षों के अचल सम्पत्ति के पूर्ण वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए हों, के प्रकरण को परिभ्रमण में विचाराधीन रखे जाएंगे तथा 5 वर्षों के पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परिभ्रमण के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा."

2. नियम 7 के उप-नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(7-क) प्रशासकीय विभाग, विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष पदोन्नति के लिए विचाराधीन शासकीय सेवकों के विगत 5 वर्षों के अचल सम्पत्ति के वार्षिक विवरण प्राप्त/अप्राप्त होने की जानकारी प्रस्तुत करेगा. ऐसे शासकीय सेवक, जिनसे 5 वर्षों के अचल सम्पत्ति के पूर्ण वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए हों, के प्रकरण को परिभ्रमण में विचाराधीन रखे जाएंगे तथा 5 वर्षों के पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परिभ्रमण के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 4-2/2015/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2015/1/3 दिनांक 26-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2015

NOTIFICATION

No. F 4-2/2015/1/3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 16 and 335 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Services (promotion) Rules, 2003, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After sub-rule (6) of rule 6, the following shall be inserted, namely :-

"(6-a) The administrative department shall submit information before the Departmental Promotion Committee about having received/not received annual particulars of immovable property of preceding 5 years of government servants under consideration for promotion. Cases of government servants, whose complete annual particulars of immovable properties of 5 year are not received, shall be kept under consideration in circulation and only after receiving complete description of 5 years, promotion of concerned servants shall be concerned by Departmental Promotion Committee by way of circulation."

2. After sub-rule (7) of rule 7, the following shall be inserted, namely :-

"(7-a) The administrative department shall submit information before the Departmental Promotion Committee about having received/not received annual particulars of immovable property of preceding 5 years of government servants under consideration for promotion. Cases of government servants, whose complete annual particulars of immovable properties of 5 year are not received, shall be kept under consideration in circulation and only after receiving complete description of 5 years, promotion of concerned servants shall be concerned by Departmental Promotion Committee by way of circulation."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.